न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 228/2012

सायलान :-

1. रुकमा पुत्री धन्ना पत्नी रतनलाल
   जाति-सरगरा, निवासी-जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. आयचूकी पुत्री धन्ना पत्नी चम्पालाल
   जाति-सरगरा, निवासी-जोधावास
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

गैरसायलान :-

1. बगदाराम पुत्र धन्ना
2. सायरी बेवा धन्ना
3. ऐलची बेवा मादिया
4. बाबू पुत्र मादिया
5. ओमा पुत्र मादिया
6. उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार भू-अभिलेख (लेण्ड होल्डर) तहसील कार्यालय जैतारण,
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 04/12/2012

उपस्थितः- 1. श्री राजू नाथ, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी एवं श्री नरसिंहराम चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 20/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-आगेवा, पटवार क्षैत्र-आगेवा, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 66 बीघा 9 बीस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त वर्णित भूमि में सायलान तथा गैरसायल संख्या एक से पांच का संयुक्त व सामलाती कब्जा काश्त होकर बाप दादा के समय से लगातार काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य कर रहे हैं। उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि लिखा जायेगा। वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसायल संख्या एक से पांच की पैतृक पुश्तैनी होकर संयुक्त हिन्दू अविभाजित मुर्स्तका खानदान की हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में सायला रुकमा का 1/5 हिस्सा सायला आयचुकी का 1/5 हिस्सा गैरसायल बगदाराम का 1/5 हिस्सा गैरसायला सायरी का 1/5 हिस्सा व गैरसायलान ऐलची बाबू व ओमा का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा है तथा इसी कदर सायलान व गैरसायलान मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सायलान व गैरसायलान के परिवार की वंश वृक्षावली अमरा (फौत) का पुत्र धन्ना (फौत) के वारिसान मादिया (फौत), बगदाराम, रुकमा, आयचुकी व सायरी हुई तथा मादिया (फौत) के वारिसान ऐचली बाबू व ओमा हुए। सायलान के दादा स्वर्गीय अमरा पुत्र किसना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पति होकर उनका कर्ताखानदान के तौर पर कब्जा काश्त था। अमरा के देहान्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में सायलान के पिता धन्ना के नाम की प्रविष्ठि की जानी थी। क्योंकि वे एक मात्र वारिस था। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत रुप से वादग्रस्त कृषि भूमि में धन्ना के साथ साथ उनके पुत्र मदिया उर्फ मादिया के नाम की राजस्व रेकर्ड में गलत रुप से प्रविष्टि कर दी। जबकि उक्त प्रविष्टि के समय सायलान व गैरसयलान संख्या एक व दो के पिता व पति जीवित थें और उनकी समस्त संताने भी जीवित थी। उक्त गलत प्रविष्टि आगे से आगे चलती रहीं। वर्ष 1980 में मदिया पुत्र धन्ना का देहान्त हो गया तब गलत प्रविष्टि के कारण मदिया उर्फ मादिया के नाम के कायम मुकाम गैरसायलान संख्या तीन से पांच के नाम की प्रविष्टि जरिये फोतदेगी म्युटेशन के कर दी गयी वर्ष 1991 में धन्ना के देहान्त के पश्चात धन्ना के समस्त कानूनी वारिसान का नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि कानूनन की जानी थी। परन्तु उस समय गैरसायल बगदाराम व सायरी के नामो की ही प्रविष्टि की गयी। जानबुझकर सायलान के नामों की प्रविष्टि नहीं की गयी। फौतदेगी म्युटेशन भरने के समय पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारीयों ने स्वर्गीय धन्ना के समस्त कानूनी वारीसान की बाबत कोई जांच या तस्दीक नहीं की और गलत रुप से म्यूटेशन भर दिया जिससे गैरसायल संख्या तीन से पांच की राजस्व रेकर्ड मे गलत रुप से दोहरी प्रविष्टियां दर्ज हो गयी, जो प्रविष्टियां पूर्व व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज है तथा उसमें दर्ज हिस्से भी वास्तविक नही हैं। वास्तव में दोनो सायलान का 1/5-1/5 हिस्सा व गैरसायल बगदाराम का 1/5, सायरी का 1/5 व गैरसायलान संख्या तीन से पांच का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा वास्तविक हिस्सा होता हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टिया वादीगण के कानूनी व साम्पैतिक खातेदारी हिस्सो के विरुद्ध बेअसर व शून्य हैं। सायलान ने माह अगस्त वर्ष 2012 में गैरसायल संख्या एक से पांच को कहा कि वे अपनी कृषि व हिस्से का कानूनी बंटवाडा करवाना चाहती हैं इसलिये तहसील कार्यालय में साथ चलकर सभी अपने अपने हिस्से अलग करवा लो तो गैरसायलान ने आशवासन दिया कि बंटवाडा करा लेगें बाद में गैरसायलान के आनाकानी करने पर सायलान को वहम हुआ तब दिनांक 18/09/2012 को सायल ने तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की नकले ली तब उन्हे पता चला कि उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नही किया गया हैं। जबकि स्वर्गीय धन्ना के कायम मुकाम के तौर पर कानूनी वारिस होने से सायलान का नाम भी दर्ज किया जाना आवश्यक था। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि में सायलान को जन्म के साथ ही खातेदारी काश्तकारी अधिकार कानूनी रुप से उत्पन्न हो जाते हैं। उक्त जानकारी मिलने पर सायलान ने दिनांक 15/11/2012 को गैरसायलान को कहा कि सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाओ और कार्यवाही करो तो गैरसायलान ईन्कार हो गये तथा सायलान को धमकी दी कि वे सायलान का नाम खाते में दर्ज नहीं करवायेगे, न करने देगें। सायलान को उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करके भूमि को बैचान हस्तान्तरण कर देगें। सायलान ने समझाने का प्रसास भी किया, तो भी गैरसायलान नहीं माने। सायलान को वादग्रस्त कृषि भूमि घोषणा के जरिये अपने नामों की प्रविष्टि करवाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने का तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उठाते हुये सायलान को जबरन बैदखल करके वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया, तो वादीगण की रोजी रोटी का आधार समाप्त हो जायेगा तथा उन्हे असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकेगी। तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

परिस्थितियों दस्तावेजात व मौके पर लगातार कब्जे व काश्त की रुह से सायलान का बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोंण से सायलान के पक्ष में हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील गै0सा0 संख्या 3 से 5 की ओर से जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाव पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04/12/2012 को जारी की गई हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-आगेवा, पटवार क्षैत्र-आगेवा, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 66 बीघा 9 बीस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पावन्द किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 04/12/2012 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner